GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)
****

RBE No. 22 /2000

No. E(P&A)I-98/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 11-2-2000.

The GMs/CAO(R)s/OSDs
All Indian Rlys &Prod Units etc.
(As per mailing list).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of the Indian Railway Establishment Code Volume I, 1985 Edition.(Reprint Edition - 1995)

Ref: Board's letter of even number dated 21.5.99.

****

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 551 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition - 1995) be amended as in the enclosed advance correction slip No. 76

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-98/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 11.2.2000.

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways etc.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं. 22/2000

सं.ई(पी एंड ए)1-98/सीपीसी/एलई-6

नई दिल्ली, दिनांक: 11.2.2000

महाप्रबंधक/विकाधि/मुख्य प्रशा.अधिकारी.
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों एवं कार्यविधियों का सरलीकरण- भारतीय रेलवे स्थापन्ना संहिता जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण, 1995) का अध्याय-5.

संदर्भ: बोर्ड कार्यालय का दिनांक 21.5.99 का समसंख्यक पत्र.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-1995) के नियम 551 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं..76.... के अनुसार संशोधित करने का निदेश देते हैं.

2. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ता),
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: शुद्धि पर्ची

No.E(P&A)I-98/CPC/LE-6 New Delhi, Dated : 11 .2..2000.

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No.III)

DA: Correction slip.

for Secretary, Railway Board.

No.E(P&A)I-98/CPC/LE-6 New Delhi, Dated : 11 .2.2000.

Copy, with 40 spares. forwarded to the DAI (Railways), New Delhi.

DA: Correction slip.

for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), & Secretary,EDPC-I&II, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDE(N), EDE(IR), EDPG,DF(E),DPC,JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), JDPC-I & II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DE(LR) I, II & III.

E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V, ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III(with 4 spares) &Spl., A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

****

सं•ई§पी एंड ए§1-98/सी पी सी /एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 11 •2• 2000

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलों आदि को अग्रेषित•

§ के•जे•अब्राहम §

संयुक्त निदेशक, स्थापना §वेतन एवं भत्ता§

रेलवे बोर्ड•

संलग्नक: शुद्धि पर्ची

सं•ई§पी एंड ए§1-98/सीपीसी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 11•2•2000

फेडरेशन आदि को प्रतिलिपि अग्रेषित•§मानक डाक सूची सं•3 के अनुसार§

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड•

संलग्नक: शुद्धि पर्ची

सं•ई§पी एंड ए§1-98/सीपीसी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 11 •2•2000

डी ए आई §रेलें§, नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रतिलिपि अग्रेषित•

संलग्नक: शुद्धि पर्ची•

कृते वित्त आयुक्त, रेलें•

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य कार्मिक के प्रमुख निजी सचिव एवं अन्य को प्रेषित•

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-I, 1985 EDITION (Reprint Edition - 1995)

Advance Correction Slip No. 76

Rule 551/R-I

A new Rule as 551(B) may be inserted below Rule 551-A.

Rule 551(B) - Paternity Leave to male casual Railway employee who has been granted temporary status.

A male casual Railway employee who has been granted temporary status with less than two surviving children may be granted Paternity Leave for a period of 15 days during the confinement period of his wife. The leave should be applied for and availed of, at least partly, or at least commence within a period of 135 days of childbirth. The Paternity leave can commence prior to childbirth so long as the date of birth of child falls during the period of such leave. It shall not be debited against the leave account and may be combined with pro-rata leave on average pay admissible to the casual Railway employees (as in the case of Maternity Leave). Paternity Leave too, like Maternity Leave, can be sanctioned only in a single spell. During the period of such leave he shall be paid wages, in respect of the working days equal to the wages drawn immediately before proceeding on leave.

(Authority Board's letter No. E(P&A)I-98/CPC/LE-6 dated 21.5.99)

****

भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1995 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण-1995)

के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-76

नियम-555/स्था-1

नियम 551-क के नीचे 551 (ख) के रूप में एक नया नियम जोड़ा जाए.

नियम 551 (ख)-पुरुष नैमित्तिक रेलवे सेवक जिसे अस्थाई पद दिया गया है को पैतृत्व छुट्टी प्रदान करना.

एक पुरुष नैमित्तिक रेलवे कर्मचारी, जिसे अस्थायी पद दिया गया है, और जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को उसकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिनों की पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाए. बच्चे के जन्म के 135 दिनों के भीतर आवेदन करके यह छुट्टी, पूरे या आंशिक तौर पर ले ली जानी चाहिए या कम से कम इस अवधि के भीतर यह छुट्टी शुरू हो जानी चाहिए. बच्चे के जन्म से पूर्व पैतृत्व छुट्टी शुरू की जा सकती है बशर्ते इस प्रकार की छुट्टी के दौरान बच्चे की जन्म की तारीख पड़ती हो. यह छुट्टी कर्मचारी के खाते में से नहीं काटी जाएगी तथा इस छुट्टी को नैमित्तिक रेलवे कर्मचारी को अनुमेय यथाअनुपात औसत वेतन छुट्टी (जैसा कि प्रसूति छुट्टी के मामले में है) के साथ जोड़ा जा सकता है. प्रसूति छुट्टी की तरह पैतृत्व छुट्टी भी एक ही बार में ही मंजूर की जाएगी.ऐसी छुट्टी के दौरान उसे मजदूरी वही मिलेगी जो उसे छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व कार्य-दिवसों पर मिलती थी.

प्राधिकारः बोर्ड कार्यालय का दिनांक 21.5.99 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)1
98/सीपीसी/एल ई-6)